



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 04 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को 10500/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 04 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को 10500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 40/07 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त पल्लू पुत्र बिन्दा निवासी रैपुरा थाना जसपुरा जनपद बांदा को **1500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
2. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 277/07 धारा 354/342/323 भादवि के अभियुक्त सन्तु उर्फ सरोज पुत्र कैरा निवासी गंडाव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर जेल में बिताई गई अवधि की सजा व **3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
3. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 16/97 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त सिद्धगोपाल पुत्र छोटेलाल निवासी मोहल्ला कटरा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर **5000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
4. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 23/11 धारा 504 भादवि के अभियुक्त भोंदू रैकवार पुत्र श्यामलाल निवासी तेन्दूरा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।